

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तारीख में जारी हुए</p>
<p>29.8.17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उम्रपत्र उपस्थित। वकील अपीलार्थ बहस हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि. 6.9.17 को पेश हो।</p>	
<p>6.9.17</p>	<p>पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 13.10.17 को वास्ते... बहस... पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अपील रिज</p>	
<p>13.10.17</p>	<p>पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 22.11.17 को वास्ते... बहस... पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अपील</p>	
<p>22.11.17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। उम्रपत्र उपस्थित। वकील अपीलार्थ बहस हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22-12-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रिज</p>	
<p>22-12-17</p>	<p>जिला अभिभाषक संस्था बीलवाड़ा द्वारा कार्य समाप्त रखे जाने से पत्रावली दिनांक 30.1.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अपील</p>	
<p>30.1.18</p>	<p>पीठासीन अधिकारी के भ्रमण/अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 6.3.18 को वास्ते... बहस... पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अपील रिज</p>	
<p>6.3.18</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थ उपस्थित। वकील अपीलार्थ ने यह जाहिर किया कि अर्जनस्थ आयुक्त में बूल नोट का निस्वार्थ हो चुका है अतः पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है। अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अपील इसी स्तर पर स्वारिज की जावे। अतः अपील इसी स्तर पर स्वारिज की जाती है। पत्रावली तदनुसार पेश कर सुनार डेफर नम्बर से क्रम हो। बाद तकमील के दारिजल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">रिज</p>	<p>अतः यह क. निराकर होकर इस लिए कार्य कार्यवाही की अनुपयुक्त है।</p> <p style="text-align: right;">मार्ग 6/3/18</p> <p style="text-align: center;">भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील भाषिकारी बीलवाड़ा</p>